नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 413.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, भेषजज्ञ, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में भेषजज्ञ, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, भेषजज्ञ, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भेषजज्ञ	1 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200-92300 रूपये)	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(6)	(7)
20 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के संबंधीत अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।) **टिप्पण 2 :** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या समतुल्य ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 2 वर्ष की अवधि का भेषजी में डिप्लोमा ; (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से भेषजी में 3 महीने का प्रशिक्षण और ; (iv) केन्द्रीय या राज्य भेषज परिषद् में भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकृत। **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सूअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)			(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-			लागू नहीं होता ।
1	वैज्ञानिक “ई”, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे ;	अध्यक्ष	
2	चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे ;	सदस्य	
3	केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह ‘क’ अधिकारी ।	सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/49/2017-ई.II]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R. 413.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Pharmacist, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Pharmacist, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pharmacist	*1 (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", non- Gazetted, non-Ministerial.	Level -5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 20 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of General candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	(1) 10+2 or equivalent from a recognised Board; (2) two years duration diploma in Pharmacy from a recognised Institution; (3) three months training in Pharmacy from a recognised Institution; and

Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(4) registered as Pharmacist with the Central or State Pharmacy Council. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman; 2. Medical Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Member; 3. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/49/2017-E.-II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 414.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल विज्ञानी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल विज्ञानी, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल विज्ञानी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में –

(I) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखें जाएंगे, अर्थात:-